सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

क्रमांक–एफ–3 ( )/RTI/को.वि.को./2025/299 दिनांक :22-4-2025

कार्यालय–आदेश

केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या CIA/SA/C/2015/900116 में दिनांक 27.08.2015 को प्रदत्त निर्णय की अनुपालना हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, नई दिल्ली से प्राप्त ई–मेल दिनांक 19.10.24 के क्रम में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षार्थियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के निमित्त लिये जा रहे शुल्क राशि रू. 500/– प्रति उत्तर पुस्तिका सम्बन्धी पूर्व निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए उपलब्ध करवायी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं हेतु राशि रू. 2/– प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लिए जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये जाते है।

उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप इस बाबत् उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर परीक्षार्थियों के लिए पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों व आवेदन–पत्र में भी आंशिक संशोधन कर अपलोड किया जा रहा है।

अतः समस्त सम्बन्धित को एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे है।

कुलसचिव

क्रमांक–एफ–3 ( )/RTI/को.वि.को./2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ईकाई प्रभारी..., कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
3. वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
4. परीक्षा नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. वेब मास्टर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि इस बाबत् पूर्व दिशा–निर्देशो को प्रतिस्थापित (Replace) कर उक्त आदेश व संलग्न दिशा–निर्देश, आवेदन–पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव.................................,कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

कुलसचिव